

## भाग-तीन

### योजनाएँ

#### 3.1 राज्य योजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

मध्यप्रदेश वन विभाग में वर्तमान में एवं गत 3 वर्षों में प्रचलित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है। प्रत्येक योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये जो आर्थिक उपलब्धियाँ दर्शाई गई हैं वे दिनांक 8 नवम्बर 2013 तक हैं।

#### जिला क्षेत्रक योजनाएँ

##### 3.1.1 कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन

इस योजना के अंतर्गत वनों के प्रबंध हेतु बनाई गई 10 वर्षीय कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। योजना के माध्यम से कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों में वनीकरण भी किया जाता है, साथ ही बिगड़े वनों के सुधार गतिविधियाँ एवं सघन वनों में पुनरोत्पादन हेतु सहायक वन वर्धनिक कार्य, वन सीमांकन एवं अग्नि सुरक्षा कार्य कराये जाते हैं। जहां आवश्यक है वहां राशि की उपलब्धता अनुसार भूमि एवं जल संरक्षण किया जाता है। क्षेत्र की तकनीकी उपयुक्तता एवं आवश्यकतानुसार चारागाह एवं जलाऊ रोपण भी किया जाता है। विगत वर्षों में कराये गये कार्यों हेतु प्राप्त आवंटन तथा उस पर हुये व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

**क्षेत्रफल हे० में/राशि लाख रु० में**

| वर्ष      | लक्ष्य |          | उपलब्धि |          |
|-----------|--------|----------|---------|----------|
|           | भौतिक  | आर्थिक   | भौतिक   | आर्थिक   |
| 2010-2011 | 348240 | 19034.00 | 343770  | 18524.14 |
| 2011-2012 | 361730 | 22161.29 | 361730  | 22170.44 |
| 2012-2013 | 383368 | 24967.88 | 383368  | 24954.33 |
| 2013-2014 | 344928 | 26924.88 | प्रचलित | 12495.74 |

##### 3.1.2 वन विकास उपकर निधि से व्यय

पूर्व में निधि की राशि आयोजना सीमा के बाहर रखी जाती थी। विगत अनेक वर्षों से निधि के संसाधन राज्य योजना सीमा का अंग माने जा रहे हैं। अतः इस योजना में कार्य आयोजनाओं के क्रियान्वयन योजना के प्रावधानों को पूर्ण करने हेतु राशि का उपयोग किया जा रहा है।

**राशि लाख रु. में**

| वर्ष      | लक्ष्य   | उपलब्धि |
|-----------|----------|---------|
|           | आर्थिक   | आर्थिक  |
| 2011-2012 | 0.10     | 0.00    |
| 2012-2013 | 0.10     | 0.00    |
| 2013-2014 | 12500.00 | 5306.22 |

### 3.1.3 वानिकी विस्तार

यह योजना वर्ष 1983-84 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र आदि में रोपण/वन महोत्सव का कार्य किया जाता है। इससे छोटे-छोटे शहरी पार्क, सड़क किनारे एवं अन्य सामुदायिक क्षेत्र में वृक्षारोपण कर शहरों में हरियाली लाने का कार्य किया जाता है। गत पंचवर्षीय योजना तक इस योजना का नाम पर्यावरण वानिकी था। विगत वर्षों में प्राप्त आर्थिक आवंटन एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य  | उपलब्धि |
|-----------|---------|---------|
|           | आर्थिक  | आर्थिक  |
| 2010-2011 | 752.25  | 707.63  |
| 2011-2012 | 815.40  | 817.96  |
| 2012-2013 | 1000.00 | 997.43  |
| 2013-2014 | 2313.00 | 1253.56 |

### (अ) राज्य योजनाएं

### 3.2 राज्य क्षेत्रक योजनाएं

#### 3.2.1 वन अधोसंरचना का सुदृढीकरण

गत पंचवर्षीय योजना तक इस योजना का नाम सड़क भवन एवं चौकी निर्माण था। इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः वन विभाग के कार्यालय भवन, वन कर्मचारियों के आवास, सामूहिक गश्ती दल के लिये चौकी, चौकी पर रहने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आवास हेतु लाईन क्वार्टर तथा नयी सड़कों एवं पुल, पुलिया का निर्माण कराया जाता है। परिवर्तित स्वरूप में इस योजना से वन प्रबंध हेतु अन्य अधोसंरचना विकास जैसे, संचार टॉवर, सौर ऊर्जा संयंत्र आदि भी स्थापित किये जाते हैं। विभिन्न वर्षों में प्राप्त आवंटन एवं उसके विरुद्ध हुये व्यय की जानकारी इस प्रकार है:-

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य                                                             |         | उपलब्धि                                                            |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|
|           | भौतिक                                                              | आर्थिक  | भौतिक                                                              | आर्थिक  |
| 2010-2011 | 160 आंशिक भवन निर्माण पूर्ण करना एवं 277 आंशिक भवन निर्माण प्रारंभ | 1095.00 | 160 आंशिक भवन निर्माण पूर्ण किये एवं 277 आंशिक भवन निर्माण किये    | 1237.72 |
| 2011-2012 | 277 आंशिक भवन पूर्ण करना तथा 388 भवन, 10 चौकी 8 लाईन क्वार्टर      | 2600.00 | 277 आंशिक भवन पूर्ण तथा 388 भवन, 10 चौकी 8 लाईन क्वार्टर प्रगति पर | 2592.92 |
| 2012-2013 | 141 आंशिक भवन पूर्ण करना तथा 592 भवन, 16 लाईन क्वार्टर             | 5000.00 | 141 आंशिक भवन पूर्ण तथा 592 भवन, 16 लाईन क्वार्टर कार्य प्रगति पर  | 4998.64 |
| 2013-2014 | 811 भवन निर्माण कार्य                                              | 7700.00 | प्रगति पर                                                          | 2220.95 |

### 3.2.2 रोपणियों में पौधा तैयारी

गत पंचवर्षीय योजना तक इस योजना का नाम लोक वानिकी एवं रोपणियों में पौधा तैयारी था। इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः विभागीय एवं निजी आवश्यकताओं हेतु पौधा तैयारी का कार्य कराया जाता है। इसके अतिरिक्त निजी अथवा राजस्व भूमि पर आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों के वृक्षारोपण के लिये क्षमता विकास किया जाता है। विभिन्न वर्षों में प्राप्त आवंटन एवं उसके विरुद्ध हुये व्यय की जानकारी इस प्रकार है:-

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य  | उपलब्धि |
|-----------|---------|---------|
|           | आर्थिक  | आर्थिक  |
| 2010-2011 | 1470.00 | 1458.42 |
| 2011-2012 | 1800.00 | 1800.00 |
| 2012-2013 | 3500.00 | 3409.10 |
| 2013-2014 | 4000.00 | 2032.49 |

### 3.2.3 प्रशासन सुदृढीकरण

प्रशासन सुदृढीकरण की योजना वर्ष 1988-89 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वन प्रबंध को सुदृढ़ करने हेतु वन सुरक्षा, संसूचना, आवागमन के साधनों और शस्त्रों का प्रावधान किया जाता है। विभिन्न वर्षों में इस कार्य हेतु प्राप्त आर्थिक लक्ष्य एवं व्यय की जानकारी इस प्रकार है -

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य  | उपलब्धि |
|-----------|---------|---------|
|           | आर्थिक  | आर्थिक  |
| 2010-2011 | 518.75  | 500.60  |
| 2011-2012 | 1181.24 | 1179.28 |
| 2012-2013 | 2750.00 | 2727.59 |
| 2013-2014 | 3500.00 | 1132.15 |

### 3.2.4 ओंकारेश्वर निधि से व्यय

यह योजना वर्ष 2007-08 में ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना से निर्मित निधि से प्रारम्भ कर वनमण्डल खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, बड़वाह, झाबुआ, देवास, धार, एवं हरदा में संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत ओंकारेश्वर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में आनेवाले वनों में पुनरुत्पादन एवं वृक्षारोपण के कार्य किये जाते हैं। यह योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 में समाप्त हो गयी है। विगत वर्षों में कराये गये कार्यों हेतु प्राप्त आवंटन तथा उस पर हुये व्यय का विवरण निम्नानुसार हैं:-

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य                                                                                   |        | उपलब्धि                                       |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
|           | भौतिक                                                                                    | आर्थिक | भौतिक                                         | आर्थिक |
| 2010-2011 | लगभग 1000हे0 (क्षेत्र तैयारी)<br>4795 हे0 (रखरखाव)                                       | 500.00 | 1000हे0 (क्षेत्र तैयारी)<br>4795 हे0 (रखरखाव) | 498.27 |
| 2011-2012 | लगभग 900हे0 (क्षेत्र तैयारी)<br>4795 हे0 (रखरखाव)                                        | 500.00 | 900हे0 (क्षेत्र तैयारी)<br>4795 हे0 (रखरखाव)  | 500.00 |
| 2012-2013 | लगभग 900हे0 (रोपण)<br>4795 हे0 (रखरखाव)                                                  | 300.00 | लगभग 900हे0 (रोपण)<br>4795 हे0 (रखरखाव)       | 294.04 |
| 2013-2014 | योजना समाप्त— (रखरखाव के कार्य कार्यआयोजना के क्रियान्वयन योजनान्तर्गत कराये जा रहे है।) |        |                                               |        |

### 3.2.5 संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन

यह योजना वर्ष 2011-12 में प्रारम्भ की गई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के बाहर स्थित वन क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के उपाय किये जाते हैं। योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है : —

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य  | उपलब्धि |
|-----------|---------|---------|
|           | आर्थिक  | आर्थिक  |
| 2011-2012 | 396.50  | 392.85  |
| 2012-2013 | 1000.00 | 986.55  |
| 2013-2014 | 1050.00 | 511.33  |

### 3.2.6 कर्मचारी कल्याण

इस योजना के अंतर्गत दूरस्थ वनों में पदस्थ वन कर्मचारियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है, जिसके अंतर्गत पीने के पानी, बिजली की व्यवस्था, भवन एवं शौचालय आदि का निर्माण कार्य एवं कर्मचारियों में खेलकूद के प्रोत्साहन इत्यादि कार्य कराया जाता है। विगत वर्षों में इस योजना में किये गये कार्यों में आवंटन एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है:—

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य | उपलब्धि |
|-----------|--------|---------|
|           | आर्थिक | आर्थिक  |
| 2010-2011 | 100.00 | 99.89   |
| 2011-2012 | 100.00 | 100.00  |
| 2012-2013 | 250.00 | 249.89  |
| 2013-2014 | 300.00 | 123.45  |

### 3.2.7 वन्यप्राणियों द्वारा फसल क्षति का मुआवजा

यह योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ की गई है। योजना का उद्देश्य वन्यप्राणी धरोहर का संरक्षण करना एवं इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना है। वन्यप्राणियों द्वारा किये जा रहे फसल नुकसानी का मुआवजा देने से इस कार्य में ग्रामीणों का सहयोग भी प्राप्त होता है। आगामी वित्तीय वर्ष से यह योजना राजस्व विभाग में सम्मिलित की जा रही है। विगत वर्षों में प्राप्त आवंटन एवं उसके विरुद्ध किये गये व्यय की जानकारी इस प्रकार है:-

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य                            | उपलब्धि |
|-----------|-----------------------------------|---------|
|           | आर्थिक                            | आर्थिक  |
| 2010-2011 | 184.80                            | 21.31   |
| 2011-2012 | 53.42                             | 41.19   |
| 2012-2013 | 50.00                             | 45.46   |
| 2013-2014 | 0.01 (राजस्व विभाग को हस्तांतरित) | 0.00    |

### 3.2.8 ग्रामों के पुनर्वास हेतु मुआवजा

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गई है। योजना का उद्देश्य वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्रों से ऐसे ग्रामों का पुनर्वास करना एवं अधिकारों का अर्जन है जो संबंधित क्षेत्र में वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु नितांत आवश्यक है। योजना में मुख्यतः प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। विगत वर्षों में प्राप्त आवंटन एवं उसके विरुद्ध किये गये व्यय की जानकारी इस प्रकार है:-

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य   | उपलब्धि  |
|-----------|----------|----------|
|           | आर्थिक   | आर्थिक   |
| 2010-2011 | 100.00   | 0.00     |
| 2011-2012 | 91.24    | 86.78    |
| 2012-2013 | 6079.68  | 6079.68  |
| 2013-2014 | 12000.00 | 12000.00 |

### 3.2.9 ईको पर्यटन विकास बोर्ड को अनुदान

यह योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ की गई है। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड को चिन्हित क्षेत्रों के पर्यटन की दृष्टि से विकास हेतु अनुदान दिया जाता है, विशेष तौर पर ऐसे क्षेत्रों के लिये जिनका विकास पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप से किया जाना संभव नहीं है। विगत वर्षों में प्राप्त आवंटन एवं उसके विरुद्ध किये गये व्यय की जानकारी इस प्रकार है:-

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य | उपलब्धि |
|-----------|--------|---------|
|           | आर्थिक | आर्थिक  |
| 2010-2011 | 100.00 | 100.00  |
| 2011-2012 | 150.00 | 150.00  |
| 2012-2013 | 150.00 | 150.00  |
| 2013-2014 | 800.00 | 800.00  |

### 3.2.10 अध्ययन एवं अनुसंधान

योजना का उद्देश्य वन विभाग के कार्यों हेतु अनुसंधान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसमें मुख्यतः राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर तथा क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विस्तार इकाईयों को विशिष्ट अध्ययन एवं अनुसंधान परियोजनाओं तथा अनुसंधान के निष्कर्षों को क्षेत्रीय स्तर तक ले जाने हेतु राशि का प्रदाय किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य अध्ययन एवं अनुसंधान कार्यों का सम्पादन भी किया जाता है। प्राप्त आवंटन एवं उसके विरुद्ध किये गये व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:-

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य | उपलब्धि |
|-----------|--------|---------|
|           | आर्थिक | आर्थिक  |
| 2010-2011 | 70.00  | 69.97   |
| 2011-2012 | 80.00  | 80.00   |
| 2012-2013 | 300.00 | 177.31  |
| 2013-2014 | 400.00 | 165.86  |

### 3.2.11 वानिकी अनुरक्षण एवं विकास (वित्त आयोग से अनुदान)

इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त राशि का प्रावधान किया जाता है। वर्ष 2009-10 तक 12 वें वित्त आयोग के अंतर्गत राशि प्राप्त हुई थी। वर्ष 2010-11 से 13 वें वित्त आयोग की अवधि प्रारम्भ हुई। प्रथम दो वर्ष के लिये वन अनुदान के रूप में अनुशंसित राशि वन विभाग को देय नहीं थी। योजनान्तर्गत विगत वर्षों में कराये गये कार्यों हेतु प्राप्त आवंटन तथा उस पर हुये व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य  | उपलब्धि |
|-----------|---------|---------|
|           | आर्थिक  | आर्थिक  |
| 2010-2011 | 0.00    | 0.00    |
| 2011-2012 | 0.00    | 0.00    |
| 2012-2013 | 3065.00 | 3064.93 |
| 2013-2014 | 3065.00 | 1618.20 |

### 3.2.12 जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वीकृत हुई है। योजना का उद्देश्य चिड़ियाघर तथा रेस्क्यू सेंटर स्थापित करना है। प्राप्त आवंटन व व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य | उपलब्धि |
|-----------|--------|---------|
|           | आर्थिक | आर्थिक  |
| 2011-2012 | 25.18  | 25.00   |
| 2012-2013 | 600.01 | 553.72  |
| 2013-2014 | 792.12 | 708.99  |

### 3.2.13 सैटेलाईट इमेजरी

वित्तीय वर्ष 2012-13 से नवीन योजना “सैटेलाईट इमेजरी” प्रारंभ की गई है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में राशि रु.16.00 करोड़ का प्रावधान है। योजना की स्वीकृति हेतु वित्तीय व्यय समिति की बैठक दिनांक 28.1.2013 को आयोजित है। द्वितीय अनुपूरक अनुमान में राशि बजट में प्राप्त हो चुकी है। स्वीकृति उपरांत राशि का उपयोग सैटेलाईट इमेजरी का क्य हेतु किया जावेगा।

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य  | उपलब्धि |
|-----------|---------|---------|
|           | आर्थिक  | आर्थिक  |
| 2012-2013 | 1600.00 | 1600.00 |
| 2013-2014 | 400.00  | 0.00    |

## 3.3 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

### 3.3.1 बुन्देलखण्ड परियोजना

भारत सरकार से वर्ष 2009-10 में बुन्देलखण्ड पैकेज स्वीकृत हुआ था। इसमें वन विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 से वर्ष 2011-12 तक बुन्देलखण्ड अंचल के वन क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण का कार्य संपादित किया गया था। आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है : -

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य  | उपलब्धि |
|-----------|---------|---------|
|           | आर्थिक  | आर्थिक  |
| 2010-2011 | 5791.48 | 5791.48 |
| 2011-2012 | 4863.00 | 4863.00 |
| 2012-2013 | 0       | 0       |
| 2013-2014 | * 0.01  | 0       |

\* नोट:—बुन्देलखण्ड पैकेज फेस-2 अन्तर्गत योजना वित्तीय वर्ष 2013-14 से पुनः संचालित की जाना है, भारत सरकार द्वारा राशि रु. 22.12 करोड़ स्वीकृत दी गई है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि रु. 13.27 करोड़ विमुक्त की गई है। उक्त राशि प्राप्त करने के लिये शासन वन विभाग एवं राज्य योजना आयोग को लेख किया जा चुका है।

## (ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

### 3.4.1 वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास

गत पंचवर्षीय योजना तक इस योजना का नाम प्रोजेक्ट टाइगर था। मांग संख्या 10 एवं 41 में प्राप्त राशि क्रमशः योजना क्रमांक 1594 एवं 3730 में समायोजित होती थी। वर्तमान पंचवर्षीय योजना से इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्रों के लिये भी वन्यप्राणी के रहवास सुधार एवं उनके संरक्षण, अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाता है। इस योजना में आवर्ती कार्यों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनावर्ती कार्यों के लिए 100 प्रतिशत धनराशि केन्द्र शासन से प्राप्त होती है। आवर्ती कार्यों हेतु शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन को वहन करना पड़ती है। इस योजना में केन्द्रांश सहित स्वीकृति राशि एवं उपलब्धि का विवरण इस प्रकार है:—

राशि लाख रु0 में

| वर्ष      | प्रावधानित राशि | भारत सरकार से स्वीकृत राशि | आर्थिक उपलब्धि |
|-----------|-----------------|----------------------------|----------------|
| 2010-2011 | 24122.92        | 4207.60                    | 4752.13        |
| 2011-2012 | 17648.42        | 5546.66                    | 6424.30        |
| 2012-2013 | 9811.93         | 7734.90                    | 9620.07        |
| 2013-2014 | 16215.00        | 1138.22                    | 1242.80        |

### 3.4.2 राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास

इस योजनान्तर्गत केन्द्र शासन द्वारा सभी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों को प्रतिवर्ष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे उक्त 3.4.1 में दर्शित योजना में समाहित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वन्यप्राणियों संरक्षण हेतु अधोसंरचना विकास का कार्य जैसे— जल स्त्रोंतो का विकास, खरपतवार उन्मूलन कार्य, पशु अवरोधक दीवाल/फेंसिंग, संचार साधनों का विकास, आवासीय/कार्यालय भवन का निर्माण, जनहानि एवं पशुहानि प्रकरणों में क्षतिपूर्ति का भुगतान, सड़क निर्माण/उन्नयन, पशु टीकाकरण कार्य, वाहन क्रय, प्रचार प्रसार, सेमीनार/सम्मेलन इत्यादि कार्य कराये जाते थे। आवर्ती कार्यों के लिए 50 प्रतिशत एवं अनावर्ती कार्यों के लिए 100 प्रतिशत धनराशि केन्द्र शासन से प्राप्त होती थी। आवर्ती कार्यों हेतु शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन को वहन करना पड़ती है। विगत वर्षों में इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि एवं आर्थिक उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है:—

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | प्रावधनित राशि                                      | भारत सरकार से स्वीकृत राशि | आर्थिक उपलब्धि |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 2009-2010 | 774.67                                              | 713.09                     | 641.99         |
| 2010-2011 | 894.90                                              | 694.54                     | 600.20         |
| 2011-2012 | 876.01                                              | 541.85                     | 238.92         |
| 2012-2013 | योजना: वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास में समाहित |                            |                |

### 3.4.3 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के माध्यम से वन्य प्राणी विकास

इस योजना अंतर्गत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रतिवर्ष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। भारत सरकार की सहायता का अंश बजट के बाहर प्राप्त होता है। स्वीकृत राशि में से केवल राज्यांश हेतु बजट में प्रावधान रहता है। विगत वर्षों में इस योजना में किये गये व्यय का विवरण इस प्रकार है

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | आर्थिक लक्ष्य                                       | आर्थिक उपलब्धि |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 2009-2010 | 8.50                                                | 7.98           |
| 2010-2011 | 40.00                                               | 7.69           |
| 2011-2012 | 0.00                                                | 0.00           |
| 2012-2013 | योजना: वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास में समाहित |                |

### 3.4.4 गहन वन प्रबंध योजना

यह योजना वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ हुई है। पूर्व में यह योजना वनों में आधुनिक अग्नि सुरक्षा योजना के नाम से प्रचलित थी। इसके अंतर्गत वनों में अग्नि सुरक्षा कार्य के अतिरिक्त वन सुरक्षा हेतु चौकी एवं लाइन क्वाटर का निर्माण किया जाता है। वन सीमा पर पक्के मुनारों का निर्माण तथा वन सुरक्षा एवं प्रबंध को सुदृढ़ करने के लिये अन्य अनुशांगिक कार्यवाहियां भी योजना के अंतर्गत वित्त पोषित हैं। विगत वर्षों में इस योजना में प्राप्त आर्थिक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि निम्नानुसार रही है:-

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | प्रावधनित राशि | भारत सरकार से स्वीकृत राशि | आर्थिक उपलब्धि |
|-----------|----------------|----------------------------|----------------|
| 2010-2011 | 2020.00        | 1001.17                    | 1201.24        |
| 2011-2012 | 1539.19        | 1205.00                    | 1232.76        |
| 2012-2013 | 2400.00        | 1184.40                    | 1183.56        |
| 2013-2014 | 2400.00        | -                          | 225.13         |

### 3.5 केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं

#### 3.5.1 राष्ट्रीय जल तंत्र संरक्षण कार्यक्रम

उक्त योजना वर्ष 2006-07 से प्रारम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी एवं रातापानी राष्ट्रीय उद्यान, औबेदुल्लागंज में स्थित झीलों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस उक्त 3.4.1 में दर्शित योजना में समाहित किया गया है। इस योजना में विगत वर्षों की आर्थिक उपलब्धि निम्नानुसार है:-

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | आर्थिक लक्ष्य                        | आर्थिक उपलब्धि                                    |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2010-2011 | 59.00                                | 0.00 केन्द्र सरकार से राशि विमुक्त न होने के कारण |
| 2011-2012 | 60.00                                | 0.00 केन्द्र सरकार से राशि विमुक्त न होने के कारण |
| 2012-2013 | योजना: दर्शित योजना 3.4.1 में समाहित |                                                   |

#### 3.5.2 लघु वनोपज संघ को अनुदान

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार से मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ को उसके कार्यों हेतु आंशिक पूंजी प्रदाय की जाती है। वर्ष 2012-13 में टोकन प्रावधान के अतिरिक्त रु.2305 लाख प्रावधानित कराये गये थे, किन्तु भारत सरकार से माह जनवरी, 2013 में रु.305 लाख ही स्वीकृत हुए। इस योजना की आर्थिक उपलब्धि निम्नानुसार है:-

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | आर्थिक लक्ष्य | आर्थिक उपलब्धि |
|-----------|---------------|----------------|
| 2010-2011 | 262.00        | 262.00         |
| 2011-2012 | 400.00        | 400.00         |
| 2012-2013 | 305.00        | *305.00        |
| 2013-2014 | 300.00        | 0              |

टीप:- मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ के द्वारा यह राशि वर्ष 2013-14 में वापस की गयी है।

### 3.6 ऐसी योजनाएं जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रचलित नहीं हैं

#### 3.6.1 भूमि एवं जल संरक्षण

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में होशंगाबाद, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन एवं खण्डवा वृत्त में वन भूमि में आवश्यकतानुसार चेक डैम, गली प्लगिंग, कंटूर ट्रेंचिंग आदि भूमि एवं जल संरक्षण के कार्य कराये जाते थे। आवश्यकतानुसार सीमित मात्रा में रोपण कार्य भी कराया जाता था। योजना को वर्ष 2011-12 से कार्य आयोजना के क्रियान्वयन योजना में समाहित किया गया है। विगत वर्षों में प्राप्त आर्थिक लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्षेत्रफल हे. में/राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य |        | उपलब्धि |        |
|-----------|--------|--------|---------|--------|
|           | भौतिक  | आर्थिक | भौतिक   | आर्थिक |
| 2010-2011 | 200    | 100.00 | 200     | 98.10  |

### 3.6.2 संरक्षित क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के लिये ईको विकास योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गई थी। इसमें वन्य प्राणी संरक्षण क्षेत्रों एवं उसके आस-पास स्थित ग्रामों में ग्राम विकास की गतिविधियाँ जैसे उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास, चारागाह एवं जलाऊ, वृक्षारोपण, वैकल्पिक रोजगार, प्रशिक्षण तथा कृषि एवं पशु सुधार संचालित किये जाने थे। योजना को सक्षम वित्तीय समिति की स्वीकृति प्राप्त न हो सकने के कारण वित्तीय वर्ष में समाप्त किया जा चुका है। योजना की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण इसमें कोई व्यय किया जाना संभव नहीं था।

### 3.6.3 सौर ऊर्जा से विद्युतिकरण

यह योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये स्वीकृत की गई थी। योजना का उद्देश्य प्रदेश के ऐसे वन परिक्षेत्र, डिपो, आदि पर सौर ऊर्जा से विद्युत उपलब्ध कराना था, जहाँ विद्युत का प्रवाह अनिश्चित था अथवा विद्युत उपलब्ध नहीं था। योजना में केन्द्र सरकार की राशि बजट के बाहर प्राप्त होती है, बजट में केवल राज्यांश का प्रावधान है। वर्ष 2011-12 में रु. 49.86 लाख के आवंटन के विरुद्ध रु. 48.00 लाख उपयोग किये गये। 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह योजना समाप्त की गई है।

### 3.6.4 वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन

प्रदेश के 1 रेंजर कालेज, 3 वनपाल एवं 5 वन रक्षक प्रशिक्षण शालाओं में संचालित कार्यक्रम इस योजना से पोषित थे। वानिकी के समग्र विकास के लिये समुचित मानव संसाधन विकास इस योजना द्वारा सुनिश्चित किया जाता था। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में यह योजना आयोजनेत्तर मद में स्थानांतरित की गई है।

राशि लाख रु. में

| वर्ष      | लक्ष्य                          | उपलब्धि |
|-----------|---------------------------------|---------|
|           | आर्थिक                          | आर्थिक  |
| 2010-2011 | 100.00                          | 91.20   |
| 2011-2012 | 96.49                           | 96.43   |
| 2012-2013 | आयोजना मद अन्तर्गत योजना समाप्त |         |

## 3.7 वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रस्तावित नई योजनायें:-

### 3.7.1 नर्सरियों का सुदृढीकरण

वित्तीय वर्ष 2013-14 से नवीन योजना "नर्सरियों का सुदृढीकरण " प्रारंभ की गई है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में राशि रु. 26.00 करोड़ का प्रावधान है। योजना की स्वीकृति स्थाई वित्तीय समिति से प्राप्त होना शेष है। समिति की एक बैठक सम्पन्न हो चुकी है, जिसमें समिति द्वारा अतिरिक्त जानकारी चाही गयी है, जिसे शीघ्र प्रेषित किया जायेगा।

### (स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं

विश्व बैंक की सहायता से वर्तमान में कोई भी योजना नहीं चल रही है।

### (द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं

#### यू.एन.डी.पी. – जी.ई.एफ परियोजना

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा अनुदान से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से मध्य प्रदेश वन विभाग एक परियोजना “म.प्र.एकीकृत भूमि एवं पारिस्थितिकीय तंत्र प्रबंधन” का निष्पादन कर रहा है।

- परियोजना की लागत रुपये 26.00 करोड़ तथा अवधि 05 वर्ष के लिए (2010 से 2015) है।
- परियोजना प्रदेश के 05 जिलों बैतूल, छिन्दवाड़ा, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया जिलों के नौ वन मण्डलों में क्रियान्वित है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य भूमि क्षरण को कम करना है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं:—

#### 1. बिगड़े बांस वनों का सुधार:—

- परियोजना के इस घटक के अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना जिले में कुल परियोजना अवधि में परियोजना जिलों के 09 वन मण्डलों में 14500 हेक्टेयर बिगड़े बांस वन क्षेत्र में कार्य कराया जायेगा जिससे लगभग 789 परिवार लाभान्वित होंगे।
- एक गरीब परिवार द्वारा प्रतिवर्ष 5 हेक्टेयर बिगड़े बांस वन क्षेत्र में किया जायेगा तथा प्रत्येक 4 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष 5-5 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया जायेगा। इस प्राकर एक परिवार द्वारा 4 वर्षों में कुल 20 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया जाएगा।
- किये गये कार्य के एवज में प्रति हितग्राही परिवार को रूप ये 3500/— प्रतिमाह का मानदेय उपलब्ध होगा। वर्ष 2013 तक लगभग 11835 हे. बिगड़े बांस वन क्षेत्रों में सुधार कार्य किया जा चुका है।

#### 2. ऊर्जा एवं चारा रोपण की स्थापना:—

- परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक वन मंडल में ऊर्जा वन एवं चारा विकास करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इससे वन मंडलों में परियोजना क्षेत्र के 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पृथक से ऊर्जा एवं चारा रोपण की स्थापना की जायेगी। उक्त रोपण में तेजी से बढ़ने वाले जलाऊ वृक्षों की प्रजातियों को सम्मिलित किया जायेगा।
- परियोजना अवधि की समाप्ति के पश्चात जलाऊ लकड़ी एवं चारा ग्रामवासियों को उपलब्ध हो सकेगी जिससे वनों पर ग्रामवासियों का जलाऊ लकड़ी एवं चारे के लिए दबाव कम होगा।

#### 3. ग्रामीणों की बाड़ियों में औषधीय प्रजातियों का वृक्षारोपण:—

- परियोजना के प्रत्येक वन मंडल में इस घटक के अंतर्गत ग्रामीणों की बाड़ियों में औषधीय प्रजातियों के रोपण हेतु निःशुल्क पौधा वितरण किया जायेगा। प्रत्येक चिन्हित समिति में 1500 पौधों का वितरण होगा तथा उन्हें लगाने एवं रखरखाव का प्रशिक्षण ग्रामवासियों को दिया जायेगा।

- वर्ष 2013 तक लगभग 3 लाख औषधीय पौधे वितरित किये जा चुके हैं। इस घटक के अंतर्गत लगभग 400 समितियों में कुल 6 लाख पौधे लगेंगे।
- 4. वन/गैर वन भूमि स्थित जल ग्रहण क्षेत्र का प्रबंधन :-**
- वन एवं गैर वन भूमि में भू-क्षरण को रोकने हेतु मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य किये जायेंगे जिनके अंतर्गत मृदा एवं जल संरक्षण संरचना का निर्माण (कंटूर, ट्रेंच, गली प्लगिंग, स्टाप डैम, नाला बंधन, निस्तार टैंक आदि) एवं बांस वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है।
  - यह कार्य कुल 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है।
- 5. वन समिति सदस्यों का कौशल उन्नयन :-**
- परियोजना जिलों के 09 वन मंडलों में चिन्हित प्रत्येक वन समिति के लगभग 20 सदस्यों का वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण देकर उन्हें मास्टर ट्रेनर बनाया जायेगा।
  - कुल 100 समितियों के 2000 समिति सदस्यों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जायेगा। वर्तमान में कंसलटेंट संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन एवं सुझाये गये प्रशिक्षण माड्यूलस् को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- 6. सूक्ष्म मध्यम उद्यम की स्थापना :-**
- इस घटक के अंतर्गत वन/ कृषि उत्पाद आधारित लघु मध्यम उद्यम संचालित किये जायेंगे। परियोजना जिलों के 09 वन मंडलों में वन समितियाँ जिनमें लघु मध्यम उद्यम संचालित करने की संभावना है, का चिन्हांकन किया जाकर लघु मध्यम उद्यम स्थापित करने हेतु बिजनेस प्लान तैयार किये जायेंगे।
  - इस घटक का मुख्य उद्देश्य ग्रामवासियों को आजीविका का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराना है तथा उनमें उद्यमिता कौशल का विकास करना है।
  - परियोजना अंतर्गत चयनित कंसलटेंट संस्थानों द्वारा इस संबंध में वन मंडलवार अध्ययन कर लघु वनोपज/ कृषि उत्पादों पर आधारित बिजनेस प्लान तैयार किये गये हैं। इन बिजनेस प्लानस् को परीक्षण कर कंसलटेंट द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- 7. कृषि एवं पशुपालन संबंधी कार्य :-**
- इस घटक के अंतर्गत प्रत्येक वन मंडल में कुछ ग्रामों में मॉडल के रूप में उन्नत कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य तथा पशुधन विकास से संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। विशेषकर सीधी (सा.) वन मंडल में परियोजना ग्रामों में लगभग 100 लघु कृषकों के 10 – 12 समूहों को तैयार कर बायोडायनामिक कृषि संबंधित गतिविधि प्रारंभ की गई है।

### वार्षिक कार्ययोजना 2013 (माह जून तक) की अद्यतन स्थिति

| अनु. क्र. | गतिविधि का नाम                | वार्षिक कार्य योजना<br>(राशि हजार रुपये में)      |              |                 | रिमार्क                                                                                           |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                               | भौतिक                                             | आर्थिक       | उपलब्धि         |                                                                                                   |
| 1         | ऊर्जा रोपण                    | 220 (हे.)                                         | 5977         | 8224            | भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति में वर्ष 2010 से 2013 तक की स्थिति दर्शायी गई है।                        |
| 2         | चारागाह रोपण                  | 190 (हे.)                                         | 4220         | 4170.50         |                                                                                                   |
| 3         | जल ग्रहण प्रबंधन              | 3000 (हे.)                                        | 5100         | 7061            |                                                                                                   |
| 4         | बिगड़े बॉस वन सुधार कार्य     | 3945 (हे.)                                        | 23310        | 25702.44        | वर्तमान में परि. प्रारंभ अवधि से हितग्राहियों द्वारा लगभग 11835 हे. क्षेत्र उपचार किया गया है।    |
| 5         | लघु एवं मध्यम उद्यम           | 09 वन मंडलों में बिजनेस प्लान तैयार कर कार्य करना | 38000        | 5393.55         | चयनित संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम हेतु बिजनेस प्लान तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। |
| 6         | वन समितियों का कौशल उन्नयन    | —                                                 | 8500         | 3191.39         | चयनित संस्थाओं द्वारा ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का कार्य प्रगति पर है।                                |
| 7         | बाड़ी में औषधीय पौधों का रोपण | लगभग 300000 पौधे                                  | 1824         | 2562.20         |                                                                                                   |
| 8         | कृषि एवं पशुपालन              | —                                                 | 2000         | 285.22          |                                                                                                   |
| 9         | परियोजना प्रबंधन व्यय         | —                                                 | 4400         | 6815.89         |                                                                                                   |
| 10        | परियोजना इकाई व्यय            | —                                                 | 2500         | 1538            |                                                                                                   |
| 11        | बेस्ट प्रेक्टिसेस अवार्ड      | —                                                 | 1000         | 82              |                                                                                                   |
|           | <b>योग</b>                    |                                                   | <b>96831</b> | <b>65326.19</b> |                                                                                                   |

दिनांक 16.12.2013 से 10.01.2014 के मध्य यू.एन.डी.पी.—जी.ई.एफ. द्वारा परियोजना का मध्यवर्ति समीक्षा किया जावेगा। इस संबंध में दो सदस्यीय समीक्षा दल का चयन यू.एन.डी.पी. द्वारा किया गया है।

## प्रस्तावित परियोजना

मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा परियोजना \*\* Forestry Project with financial assistance from Japan International Cooperation Agency (JICA)\*\* का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव वानिकी एवं आजीविका विकास से आधारित है। परियोजना की कुल प्रस्तावित राशि रुपये 1,000 करोड़ है। परियोजना की प्रस्तावित अवधि 10 वर्ष है। परियोजना को मध्य प्रदेश राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में लागू किया जाना है। उक्त परियोजना प्रस्ताव को मध्य प्रदेश शासन से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कार्य प्रगति पर है।

## (इ) अन्य योजनाएं

### कार्बन फ्लक्स टॉवर की स्थापना:—

पृथ्वी के वातावरण में CO<sub>2</sub> एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में निरंतर वृद्धि वैज्ञानिकों और नीति निर्धारकों के लिए चिंता का विषय है। जिसके फलस्वरूप होने वाले मौसम परिवर्तन से पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ने एवं ध्रुव क्षेत्रों पर जमे हिमखंड पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ने की संभावना है। साथ ही कृषि क्षेत्र पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

मध्यप्रदेश वन विभाग की प्रोजेक्ट शाखा द्वारा पूर्व से संचालित परिस्थितिकीय सेवाओं एवं वनों के माध्यम से मौसम परिवर्तन के अध्ययन के कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित नेशनल कार्बन प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश की चौथी कार्बन फ्लक्स टॉवर की स्थापना बैतूल जिले के पश्चिम बैतूल वनमंडल में की गई है।

इस कार्बन फ्लक्स टॉवर का उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पण का कार्यक्रम दूरदर्शन केन्द्र भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के करकमलों से दिनांक 31.01.2012 को संपन्न हुआ। इस टॉवर में लगे उपकरण से वनों द्वारा वातावरण से कार्बन डाईऑक्साइड के अवशोषण की दर एवं अन्य वैज्ञानिक आंकड़ों का संकलन सतत रूप से किया जा रहा है, जो कि वनों के माध्यम से प्राप्त होने वाली कार्बन क्रेडिट्स की गणना में सहायक होगी।

मध्यप्रदेश में द्वितीय एवं देश में छठवीं कार्बन फ्लक्स टॉवर की स्थापना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किये जाने हेतु इसरो द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।